उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद,
(सहकारिता अनुभाग)
104, महात्मा गांधी मार्ग, लखनऊ।

संख्या 1157 /सह./ दिनाँक 25-3-2010

इंचार्ज कम्प्यूटर सेल
उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद
मुख्यालय, लखनऊ

कृपया अपने पत्र संख्या 1402/कम्प्यूटर दिनांक 12.03.10 एवं पत्रांक 1407/कम्प्यूटर दिनांक 18.03.10 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जो इस आशय से प्रेषित किया गया था कि अपने–अपने कार्यक्षेत्र से सम्बन्धित FAQs (Frequently Asked Questions) अर्थात प्रश्न एवं उनके उत्तर सरल भाषा में तैयार कराकर कम्प्यूटर सेल को उपलब्ध करा दें।

अवगत कराना है कि सहकारिता अनुभाग में मुख्यरूप से समितियों का निबन्धन, निर्वाचन एवं उनके सम्बन्ध में दायर किये गये मध्यस्थवाद का कार्य किया जाता है।

अतः निबन्धन, निर्वाचन एवं मध्यस्थवाद से सम्बन्धित FAQs (Frequently Asked Questions) अर्थात प्रश्न एवं उनके उत्तर तैयार कर प्रेषित है।

संलग्नक– यथोक्त।

भवदीय,

25/3/10

(श्रीकान्त गोस्वामी)
सहायक आवास आयुक्त/सहायक निबन्धक

निबन्धन से सम्बन्धित प्रश्न उत्तर

प्रश्नः– सहकारी आवास समितियों के निबन्धन की प्रक्रिया क्या हैं?

उत्तरः– सहकारी आवास समितियों के निबन्धन हेतु सम्बन्धित मण्डल/जनपद के सहकारी अधिकारी(आवास)/सहकारी पर्यवेक्षक(आवास) से सम्पर्क कर निबन्धन हेतु प्रार्थना पत्र देना होगा तथा सहकारी अधिकारी(आवास)/सहकारी पर्यवेक्षक(आवास) द्वारा निर्धारित की गयी तिथि पर समिति में सम्मिलित होने वाले सदस्यो की एक बैठक होगी। जिसमें प्रस्ताव पारित करना होगा। इस बैठक में संबंधित सहकारी अधिकारी (आवास)/सहकारी पर्यवेक्षक(आवास) उपस्थित रहेगें। समिति के मुख्य प्रवर्तक द्वारा निबन्धन हेतु निर्धारित समस्त औपचारिकतायें पूर्ण कर सम्बन्धित सहकारी अधिकारी (आवास)/सहकारी पर्यवेक्षक(आवास) को उपलब्ध कराना होगा, जिसकी जॉच करते हुए सहकारी अधिकारी (आवास)/सहकारी पर्यवेक्षक(आवास) मुख्यालय को अपनी संस्तुति के साथ प्रपत्र प्रेषित करेगे तथा उसका निबन्धन संयुक्त आवास आयुक्त/संयुक्त निबन्धक द्वारा किया जायेगा।

प्रश्नः– निबन्धन के लिए प्रारम्भ में कुल कितने सदस्यो का होना आवश्यक है।

उत्तरः– आवास आयुक्त/निबन्धक(म0) द्वारा निबन्धन हेतु कम से कम 25 सदस्यों की संख्या निर्धारित की गयी हैं।

प्रश्नः– समिति के प्रबन्ध कमेटी में कुल कितने सदस्य होगें?

उत्तरः– समिति की प्रबन्ध कमेटी में कुल 08 सदस्य होगें,जिनका चयन संगठनात्मक बैठक में किया जायेगा,जो तदर्थ कमेटी कही जायेगी ।

प्रश्नः– सचिव के लिए कोई शैक्षिक योग्यता निर्धारित है?

उत्तरः– समिति के निबन्धन के समय सचिव की शैक्षिक योग्यता कम से कम इण्टरमीडिएट होना आवश्यक है।

प्रश्नः– सहकारी आवास समितियों के निबन्धन के लिए निर्धारित प्रपत्र क्या–क्या ?

उत्तरः– सहकारी आवास समितियों के निबन्धन हेतु प्रपत्र निम्नानुसार हैं:–

1– निबन्धन प्रार्थना पत्र।

2– निबन्धन प्रार्थना पत्र हेतु ट्रेजरी चालान से जमा शुल्क मु050/–रू0 लेखा शीर्षक ''0425–सहकारिता
   00 – –
   800–अन्य प्राप्तियॉ
   05–अन्य प्रकीर्ण प्राप्तियॉ
   00 – –

3– आवास आयुक्त महोदय द्वारा अनुमोदित आदर्श उपविधि की तीन प्रतियॉ।(उ0प्र0 सहकारी आवास संघ लि0 लखनऊ में बिक्री हेतु उपलब्ध)

4– मुख्य प्रवर्तक का निर्धारित प्रारूप पर मु010/–रू0 के स्टाम्प पेपर पर नोटरी द्वारा प्रमाणित शपथ पत्र।

5– संगठनात्मक बैठक,जिसमें सम्बन्धित सहकारी अधिकारी(आवास)/सहकारी पर्यवेक्षक (आवास) उपस्थित रहेगा, के कार्यवाही की तीन प्रतियॉ।

6– निर्धारित प्रारूप पर सदस्यवार शपथ पत्र जिस पर दो रूपये के स्टाम्प पर नोटरी अथवा ओथ कमीशनर द्वारा प्रमाणित सदस्यवार शपथ पत्र जिस पर सदस्य का फोटो रहेगा जो सम्बन्धित सदस्य,मुख्य प्रवर्तक द्वारा प्रमाणित तथा सम्बन्धित सहकारी अधिकारी(आवास)/ सहकारी पर्यवेक्षक(आवास) द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित होगा।

7– निर्धारित प्रारूप पर सभी सदस्यों का घोषणा पत्र।

8– सचिव की जन्म तिथि एवं शैक्षिक योग्यता के सम्बन्ध में हाईस्कूल अथवा अन्य मान्य प्रमाण पत्र तथा कम से कम इण्टरमीडिएट उत्तीर्ण होने के सम्बन्ध में प्रमाण पत्र।

9– सचिव की नियुक्ति आदेश एवं योगदान की सूचना।

10– निर्धारित प्रारूप पर सदस्यो का विवरण।(जिसमें कम से कम 25 सदस्य एवं अधिकतम 250 सदस्य हो सकते है)

प्रारूप

क्र0सं0	नाम सदस्य	पिता का नाम	निवासी	उम्र	व्यवसाय	वार्षिक आय	हस्ताक्षर